सहायक कलक्टर दौसा मुकाम दौसा

रामनारायण बनाम नर्बदा

मुकदमा दावा नं. 131 सन् 2017

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
...2-18	आज पी.ठा.सा. का [illegible] होने से जनरल ता. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 21-3-18 को पेश हो।	
21-3-18	आज पी.ठा.सा. का [illegible] होने से जनरल ता. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 25-4-18 को पेश हो।	
5/4/18	आज P.O.सा कैम्प कोर्ट तैयारी में व्यस्त होने से जनरल ता. दी गई गत आदेशों की पालना में दिनांक 4/7/18 को पेश हो।	
15-6-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में मुलाहिजा में पेश हुई। वादी मय अभिभाषक तामील के कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं हुये। प्रतिवादी मय [illegible] उपस्थित हुए। जिनको सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी गण के द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है। स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खातेदार द्वारा ही दायर किया जा सकता है	

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018

सहायक कलेक्टर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकार [illegible] हुक्म [illegible] में [illegible]
	वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद में [illegible] प्रस्तुत भूमि जमाबन्दी में खातेदारी सं० 1958 से नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण राजस्व रिकार्ड में खातेदार नहीं होने के कारण वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादीगण का वाद विधि विरुद्ध, अवैधानिक एवं साक्ष्यहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली डिक्री जारी हो। प्रकरण में स्थगन [illegible] होने सम्बन्धी [illegible] है तथा आदेश तामील प्राप्त होना माना है। निर्णय राजस्व लोक अदालत में [illegible] के सामने [illegible] से। मिसल दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर दौसा	